

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प. 12 (6)/शिक्षा-5/आरटीई/2014

जयपुर दिनांक 18-9-15

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015-16 में प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों के क्रम में ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्याक पत्र दिनांक 13.08.2015

पहोदवा,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र दिनांक 13.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 3 भौतिक सत्यापन के कार्यक्रम में निर्देशानुसार निम्नानुसार संशोधन एतद द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	पूर्व निर्धारित तिथियाँ	प्रस्तावित तिथियाँ (Change/Prorated/Extension)
1	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	21.08.2015 से 15.09.2015 तक	12.10.2015 तक
2	एनटी कक्षा में निःशुल्क व सशुल्क सीटों पर 31 जुलाई तक प्रविष्ट बालकों की सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि	14.09.2015	12.10.2015 तक
3	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	21.08.2015 से 19.09.2015 तक	17.10.2015 तक
4	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	21.08.2015 से 22.09.2015 तक	20.10.2015 तक

भवदीय,

(नसीरुद्दीन कुरेशी)
व.शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविसा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/2015-16/138

दिनांक-21-9-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी मा. शिक्षा कार्यालयों एवं विद्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित कराने का श्रम करावें ।
4. श्री विनोद जैन, साइन्टिस्ट (ग्रुप-डी), NIC, शासन सचिवालय, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक तदनुसार कार्यवाही करने हेतु ।
5. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि मंडल के अधीन समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा) शिक्षा कार्यालय एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से टाईम फ्रेम के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शिक्षा.....को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधिनस्थ ब्लॉक प्रा. शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों को तदनुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा टाईम फ्रेम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करावें ।
7. कार्यालय प्रति

मि. 21/9/15
उपनिदेशक (आरटीई) 115
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर